लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2044

11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

एनटीसी मिल्स भूमि का उपयोग

2044. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एनटीसी पार्वती मिल्स के स्वामित्व वाली कोल्लम स्थित भूमि का उपयोग करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के संज्ञान में पार्वती मिल्स कोल्लम की भूमि को आश्रमम ईएसआई मॉडल और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को ईएसआई मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने के लिए हस्तांतरित करने का अनुरोध आया है;

(घ) यदि हां, तो ईएसआई के तहत बीमित श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकारी निगम को भूमि हस्तांतरित करने के संबंध में सरकार का क्या प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का पार्वती मिल्स कोल्लम की संपत्ति के संबंध में न्यायालय के समक्ष लंबित याचिका के शीघ्र निपटान के लिए कार्रवाई आरंभ करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क): इस स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख): उपरोक्त बिंदु (क) के संदर्भ में यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ): इस संबंध में माननीय संसद सदस्य से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार जो कि प्रथमत: ईएसआईसी अस्पताल के संबंध में नोडल मंत्रालय है, से संपर्क करने की सलाह दी गई थी।

(ङ) और (च): राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड (एनटीसी) को मामले के शीघ्र निपटान के लिए मध्यस्थता आदेश के विरूद्ध संयुक्त उद्यम (जेवी) भागीदार द्वारा दायर केस का बचाव करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उपयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करने की सलाह दी गई है।

***